



न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व मण्डल

ग्रालियर म.प्र.

PBR | આરાજી | રલણાં | અનુભૂતિ | 2018 | 0317

- पुखराजमल पिता शैतानमल जी जाति जैन
 - सुरज बाई बेवा शैतानमल जी जाति जैन

निवासी ग्राम ढोढर टण्णा तह. ढोढर तह. जावरा जिला रतलाम म.प्र.

प्रार्थीगण / आवेदकगण

३८४

१. माधलाल पिता वज्जा जी जाति गायरी धंधा कृषि

श्री ४२०१५८ दिन ११-१२ हैन्द्राना
द्वारा आज दि. १-१-१२ ।
प्रस्तुति प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनां २६-१-१८ नियत। १.

गणकीय अवधारणा के आदेश के पालन में प्रतिप्राप्ति भाष्यालय गृहक के वाहीं साथ
से जुड़ता है। इसे नाम द्वारा चिह्नित करें :—

उत्तर दिल्ली 13/3 / 2018 के पालन में वस्त्र किया गया --

जाति विभाग के पार्टीचार्पे के नाम :-

- 113- राजस्थानी दाति हर्के माधुराली जाति गायरी आयु 45 साल
पत्नी - देवी,

121- राजस्थान दिता हर्के माधुराली जाति गायरी, आयु 36 साल
पत्नी - देवी,

134- मधुराली दिता हर्के माधुराली जाति गायरी आयु 34 साल,
पत्नी - देवी स्त्री निवासीना ग्राम होड़ूर तहसील जापरा
जिल्हा राजस्थान | प्र० ७३।

दिनांक 23/3/2018

प्राचीय दारा अधिकार

Conrad

प्रार्थींगण / अवेदकगण कि ओर से नोमनानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह है कि प्रार्थीगण/ आवेदकगण द्वारा न्यायालय टप्पा तह.दोढ़र में दिनांक 20/09/17 को न्यायालय में विचाराधिन प्रकरण क्र. 07अ-००/16-17 में एक आवेदन पत्र धारा 32 भू.रा.सं. का था आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी के अंतर्गत प्रस्तुति निरंतर.

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2018/317

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०।।।१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री समरथ खुराना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.५.१९ को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों।</p>  <p style="text-align: right;">~~~~~</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	